A 9/1

[illegible] न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

[illegible]न अधिकारी— श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21 / प्रा.पत्र / 2020	29.05.2020	17.03.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी
—प्रार्थी

—बनाम—

1. श्री तेजस छाजेड पुत्र श्री भीमसिंह छाजेड, विक्रेता मैसर्स लक्ष्मी चन्द सुगनचन्द, कोटा रोड, मैन बाजार, बून्दी। निवासी—112, लक्ष्मी भवन, प्रधान जी की गली, सदर बाजार, बून्दी।
2. श्री भीम सिंह छाजेड पुत्र श्री रेवतीलाल छाजेड, मालिक मैसर्स लक्ष्मी चन्द, सुगनचन्द, कोटा रोड, मैन बाजार, बून्दी। निवासी—112, लक्ष्मी भवन, प्रधान जी की गली, सदर बाजार, बून्दी।
3. मैसर्स लक्ष्मी चन्द, सुगनचन्द, कोटा रोड, मैन बाजार, बून्दी
4. श्री दीपक मलहोत्रा पुत्र श्री मदन मलहोत्रा, विक्रेता मालिक मैसर्स रिधी सिधी एन्टरप्राईजेज, 261—बी / 5, व्यास मार्ग, राजा पार्क, जयपुर—प्रथम, राजस्थान—302004
5. श्री नितिन मल्होत्रा पुत्र श्री एस0एस0 मल्होत्रा, निदेशक मैसर्स हितकारी फॉर्मेसी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट न0—1656, एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, राय, सोनीपत (हरियाणा)—131029 निवासी—सी—162, महाराणा प्रताप एन्कलेव, पीतमपुरा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली—110034
6. श्री श्यामसुन्दर मल्होत्रा पुत्र श्री लेखराज मल्होत्रा, निदेशक मैसर्स हितकारी फॉर्मेसी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट न0—1656, एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, राय, सोनीपत (हरियाणा)—131029 निवासी—सी—162, महाराणा प्रताप एन्कलेव, पीतमपुरा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली—110034
7. मैसर्स हितकारी फॉर्मेसी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट न0—1656, एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, राय, सोनीपत (हरियाणा)—131029

—अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से—श्री अजय गौत्तम एड0
अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 की ओर से—श्री मनीष दुआ एड0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A 9/2

—: निर्णय :—

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूॅ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 एवं कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना कमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.05.2019 को समय 1:30 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैन बाजार, कोटा रोड, बून्दी स्थित फर्म लक्ष्मी चन्द सुगन चन्द पर पहुंचे। वहां पर श्री तेजस छाजेड पुत्र श्री रेवतीलाल छाजेड, विकेता की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विकय हेतु खाद्य / पेय पदार्थ, लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी, प्ला0बोटल पैकिंग प्रत्येक 750 एम0एल0 के 10 नग उपलब्ध थे। उक्त खाद्य / पेय पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, प्लॉ0बोटल पैकिंग सहित ही लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी, प्ला0बोटल पैकिंग प्रत्येक 750 एम0एल0 के 4 पैकिंग नग, (4x750ml.) वास्ते नमूना जांच खरीदे। जिसकी कीमत विकेता को रू. 600 / – नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी, प्ला0बोटल पैकिंग प्रत्येक 750 एम0एल0 के 4 पैकिंग नगों को बोटल पैकिंग सहित ही चार–चार बराबर–बराबर भागों (प्रत्येक भाग में 1 नग) में विभाजित किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थो का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं कमांक यू–1345 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ. गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1345 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A 9/3

...पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों ... लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2019 / 228–230 दिनांक 06.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 293 / एफएसएसए / एक्ट / 2019 / 371 दिनांक 29.08.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी, स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) पायी गयी।

7. मेर द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के तहत खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी, प्ला0बोटल पैकिंग प्रत्येक 750 एम0एल0, मैसर्स लक्ष्मीचन्द सुगन चन्द बून्दी द्वारा मैसर्स रिंधी सिधी एन्टरप्राईजेज जयपुर से बिल संख्या 286 दिनांक 18.05.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स रिंधी सिधी एन्टरप्राईजेज 261–बी / 5, व्यास मार्ग, राजा पार्क, जयपुर–प्रथम, द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के मालिक श्री दीपक मलहोत्रा पुत्र श्री मदन मलहोत्रा निवासी–261–बी / 5, व्यास मार्ग, राजा पार्क, जयपुर–प्रथम, राजस्थान–302004 हैं। अतः इस प्रकरण में श्री दीपक मलहोत्रा मालिक रिंधी सिधी एन्टरप्राईजेज जयपुर को भी पक्षकार बनाया गया है। तथा मसर्स रिंधी सिधी एन्टरप्राईजेज जयपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी, मैसर्स हितकारी फॉर्मेसी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट न0–1656, एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, राय, सोनीपत (हरियाणा)–131029 से बिल संख्या 19–20 / 56 / 172 दिनांक 13.05.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की हैं। मैसर्स हितकारी फॉर्मेसी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट न0–1656, एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, राय, सोनीपत (हरियाणा)–131029 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के निदेशक श्री नितिन मल्होत्रा पुत्र श्री एस0ए0 मल्होत्रा, निवासी–सी–162, महाराणा प्रताप एन्कलेव, पीतमपुरा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110034 एवं श्री श्यामसुन्दर मल्होत्रा पुत्र श्री लेखराज मल्होत्रा, निवासी–सी–162, महाराणा प्रताप एन्कलेव, पीतमपुरा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110034 हैं। अतः इस प्रकरण में फर्म मैसर्स हितकारी फॉर्मेसी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट न0–1656, एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, राय, सोनीपत (हरियाणा)–131029 एवं इसके दोनों निदेशकों को अन्तिम पक्षकार बनाया गया हैं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A 9/4

उक्त फर्म ही लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी की विनिर्माता ... है।

...ने द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र कमांक एफएसएसए / 2020 / 94 दिनांक 06.05.2020 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी का विनिर्माण, भण्डारण एवं विकय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पायी गई हैं। उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर भी अप्रार्थीगण द्वारा सही तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थीगण की एक छोटी फर्म है। भविष्य में इस प्रकार की पुनार्रावृति नहीं की जावेगी। अतः प्रस्तुत जवाब स्वीकार कर कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट, हितकारी का विनिर्माण, भण्डारण एवं विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पायी गई हैं। उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर भी अप्रार्थीगण द्वारा सही तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थीगण की एक छोटी फर्म है। भविष्य में इस प्रकार की पुनार्रावृति नहीं की जावेगी। लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया है।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थी के वकील पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने प्रतिष्ठान पर स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट का खाद्य लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विकय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विकय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त स्बस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन टविस्ट की आपूर्ति की गई है। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 द्वारा खाद्य पदार्थ लेमन फ्रुट शरबत, ब्राण्ड–लेमन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

आपूर्ति अप्रार्थी संख्या 4 को की गई है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 का कृत्य रूप से दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 की त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 5,000/- (अक्षरे-पांच हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 2 को 5,000/- (अक्षरे-पांच हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 3 को 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 4 को 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 5 को 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 6 को 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी संख्या 7 को 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)